समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 778/रा0, दिनांक– 02/11/16 के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एन0पी0आर0) के डेटाबेस के अधतनीकरण कार्य से संबंधित डाटा इंट्री कार्य हेतु चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी को आधः संरचना स्थापना के लिए एक बड़े हॉल की आवश्यकता है ताकि विभाग के द्वारा द्वितीय चरण के कार्य के लिए डाटा रिलीज की जा सके।

अतः नगर परिषद, कार्यालय भवन के ऊपरी मंजिल के बड़े हॉल को लगभग 04 (चार) (चार) माह (जब तक कार्य समाप्त न हो जाय) के लिए उपरोक्त कार्य हेतु आवंटित किया जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि तत्काल उक्त हॉल को सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स राठौर सोल्यूशंस, कंकरबाग, पटना को आधः संरचना स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/–

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक–1878/सा0,मधेपुरा दिनांक–28 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– मेसर्स राठौर सोल्यूशंस, कंकरबाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप यथाशीघ्र उक्त कार्य हेतु आधः संरचना स्थापित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को इस कार्यालय के ज्ञापांक– 1153 दिनांक– 26/07/2016(छायाप्रति सलंग्न) के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी चार्ज पदाधिकारी –सह– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ। निदेश है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एन0पी0आर0) के डेटा बेस के अद्यतनीकरण कार्य सम्बंधित सारांश पत्रक की ऑन लाईन प्रविष्टि बेचिरागी ग्राम सहित शत प्रतिशत करते हुए इससे सम्बंधित क्षेत्र के कार्य के पूर्ण होने की सूचना एवं चार्ज अधिकारी द्वारा जारी किये जानेवाले प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में दो दिनों के अंदर बिना चूक के उपलब्ध करायेगें।

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।
26/11/16

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा सामान्य

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
Office of the Director of Census Operations, Bihar
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, द्वितीय तल, अशोक राजपथ पटना – 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Building, 2nd Floor, Ashok Rajpath, Patna-800004
फोन 0612-2675925/2675672 दूरभाष एवं फैक्स 0612-2675049 / ई-मेल dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

स्पीड पोस्ट / ई- मेल

पत्रांक—जे. 11015/04/2012 (NPR)—पार्ट- VII   दिनांक

समाहरणालय
23 JUN 2016

परिपत्र संख्या—5

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
क्रम 8145
पत्र संख्या 1017
दिनांक 27/6/16

प्रेषक,

पी० के० चौधरी
संयुक्त निदेशक—सह- नियंत्रण अधिकारी
सह-संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

सेवा में,

बिहार राज्य के सभी जिलाधिकारी—सह—
जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन) एवं नगर आयुक्त
—सह—जिला रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन), नगर निगम, पटना।

विषयः- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री हेतु प्रगणकों / पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं जिला स्तर पर सेवाप्रदाता के चयन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जनगणना निदेशालय बिहार, पटना द्वारा आपको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने से संबंधित कार्यों की जानकारी एवं सफल संचालन हेतु अब तक कुल 4 परिपत्र जारी किये जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :-

01. परिपत्र संख्या—1 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन करने एवं आधार नम्बर को एन.पी.आर डाटाबेस में सम्मलित करने के संबंध में।
02. परिपत्र संख्या- 2 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(एन.पी.आर) के डाटाबेस को अद्यतन एवं एन.पी. आर डाटाबेस में आधार संख्यांक को सम्मलित करने के कार्य हेतु प्रशिक्षण तथा प्रगणकों के नियुक्ति के संबंध में।
03. परिपत्र संख्या—3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) के सार पत्रकों को अपलोड करने एवं रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के संबंध में।
04. परिपत्र संख्या—4 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पुस्तिका में किये गये संशोधनों के डाटा इंट्री एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटा बेस का अद्यतन करने के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किये जाने के पश्चात डाटा इंट्री कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से एक साफ्टवेयर एवं मैन्युअल निर्मित किया गया है जिसे प्रधान सचिव—सह—राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना को प्रेषित किया जा चुका है और यह साफ्टवेयर एवं मैन्युअल npr-rgi.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

162

उपरोक्त कार्य के संबंध में आगामी कार्यवाई निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है:–

01. कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आपके जिले में समेकित गणना ब्लॉक सार की डाटा इंट्री का कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया गया है। यदि आपके जिले में उपरोक्त कार्य पूर्ण न किया गया हो तो आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाये।

02. सेवा प्रदाता के चयन हेतु जिला अथवा राज्य स्तर पर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा हेतु तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specifications) को npr-rgi.nic.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु Installation Instructions & Steps की छायाप्रति संलग्न।

03. डाटा इंट्री कार्य को 90 दिनों में समाप्त किया जाना है एवं एक प्रगणक खंड का कार्य 3 दिनों में समाप्त किया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित किया जाय।

04. सेवा प्रदाता का यह दायित्व होगा कि वह सभी प्रकार का हार्डवेयर एवं कार्य करने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, सहयोगी मैनपावर एवं ऑपरेटर उपलब्ध करायें।

05. सेवा प्रदाता को भुगतान प्रति रिकॉर्ड के आधार किया जायेगा। एक रिकॉर्ड का अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत दर्ज संपूर्ण सूचना है।

06. जिलावार आवश्यक पर्यवेक्षकों की अनुमानित संख्या इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

07. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में समस्त ग्रामीण/नगरीय/नगर पालिका निगम के उप जिला रजिस्ट्रार, जिला सूचना अधिकारी, पर्यवेक्षक (शासकीय कर्मचारी), सेवा प्रदाता (Vendor) एवं उनके द्वारा चयनित ऑपरेटर तथा सहयोगी पर्यवेक्षण टीम की उपस्थिति अनिवार्य है।

08. प्रशिक्षण स्थल पर निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करना प्रस्तावित है:–

(i) एक हॉल जिसमें लगभग 40–50 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा हो।
(ii) प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन।
(iii) दो कम्प्यूटर (Same network LAN with internet facility)।

09. निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण की तिथियां एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकारियों की सूची निर्धारित की जा रही है एवं शीघ्र ही इस संबंध में अलग से सूचना दी जायेगी।

10. डाटा इंट्री कार्य में जिला सूचना केन्द्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु निदेशालय से निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार, पटना से राज्य स्तर पर समन्वयक नियुक्त करने एवं प्रत्येक जिले में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (N.I.C) के जिला सूचना अधिकारी को भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

11. जिला सूचना अधिकारी को यह भी निदेशित करें कि डाटा इंट्री कार्य प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाता (Vendor) द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों में सॉफ्टवेयर के अनुसार Configuration (सूची संलग्न) उपलब्ध है या नहीं।

12. डाटा इंट्री का कार्य ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन दोनों प्रकार की पद्धतियों से किया जा सकता है, परन्तु यह उपयुक्त होगा कि यह कार्य ऑन लाईन पद्धति से ही किया जाये।

13 वार्ड स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा 20% कार्य की जांच की जायेगी। पर्यवेक्षक के मानदेय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा। पर्यवेक्षक निश्चित रूप से सरकारी कर्मी ही होगें।

14. भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु निदेशालय स्तर पर एक State Project Management Unit (SPMU) का गठन किया गया है। इस SPMU में श्री राजकिशोर एवं श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा को नामित किया गया है। अतः कार्य सम्पादन एवं तकनीकी सहयोग के लिये उनसे सम्पर्क क्रमशः मोबाईल संख्या–7739087758 एवं 9334175362 कार्यालय अवधि में किया जा सकता है।

अंत में परिपत्र संख्या–5 इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से इस परिपत्र की प्रति जिला अन्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की कृपा करना चाहें तदनुसार इसकी पावती प्राप्त कराकर निदेशालय को भी सूचित कराने हेतु संबंधित को निदेशित करना चाहें। इस आशय से पर्याप्त संख्या में परिपत्र आपको उपलब्ध करायी जा रही है।

22.6.16

(पी०के० चौधरी)
संयुक्त निदेशक–सह नियंत्रण अधिकारी
सह–संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)

पत्रांक–जे. 11015/04/2012 (NPR)–पार्ट–VII– पटना, दिनांक– 22/6/2016

प्रतिलिपि:–

01. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
02. अपर महारजिस्ट्रार, (नागरिक निबंधन), भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
03 प्रधान सचिव–सह–राज्य समन्वयक (राष्ट्रीय पंजीयन), राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना–800015.
04. श्री मनोज कुमार, उप महारजिस्ट्रार एवं नोडल अधिकारी (एन.पी.आर) बिहार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011.
05. सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
06 सभी अनुमंडल पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
07. सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
08. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के माध्यम से)।
09. उप निदेशक/सहायक निदेशक/सां० अं० सं० I, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.6.16

(पी०के० चौधरी)
संयुक्त निदेशक–सह–नियंत्रण अधिकारी
–सह संयुक्त रजिस्ट्रार (नागरिक पंजीयन)